



कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)

यह संस्थान क्या है

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों के लिए एक निःशुल्क आवासीय संस्थान है। KGBV उन शैक्षिक रूप से पिछड़े खंडों (Educationally Backward Blocks — EBBs) में स्थापित किए जाते हैं, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत (46.13%, जनगणना 2001) से कम है, तथा आकांक्षी जिलों में। पात्र खंडों के अंदर 75% सीटें SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए और 25% BPL लड़कियों के लिए होती हैं, और इन समुदायों एवं स्कूल-बाहर लड़कियों की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। KGBV समग्र शिक्षा के अंतर्गत चार प्रकारों का पालन करते हैं — Type I (कक्षा VI-VIII), Type II (VI-X) और Type III (VI-XII) छात्रावास सहित आवासीय विद्यालय हैं; Type IV कक्षा IX-XII के लिए मौजूदा विद्यालयों से जुड़ा बालिका छात्रावास है। KGBV पूर्ण आवासीय सुविधा प्रदान करते हैं — शिक्षण, छात्रावास, भोजन, पाठ्यपुस्तकें, गणवेश, और लेखन सामग्री — सभी निःशुल्क। ये उन लड़कियों की सेवा करते हैं जो अन्यथा दूरी, सुरक्षा, गरीबी, या पारिवारिक दबाव के कारण विद्यालय छोड़ देतीं। प्रत्येक KGBV समग्र शिक्षा अभियान के एक प्रत्यक्ष घटक के रूप में संचालित होता है।

यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप पिछड़े खंड के एक हाशिये पर रह रहे परिवार की लड़की हैं और ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ आप निःशुल्क छात्रावास के साथ पढ़ सकें, तो यह संस्थान इसी के लिए बनाया गया है। यदि आप ऐसी लड़कियों को जानते हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, तो KGBV स्कूल-बाहर और कभी न नामांकित लड़कियों को स्वीकार करते हैं।

प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
समग्र शिक्षा अभियान (KGBV घटक)	पिछड़े खंडों में बालिकाओं की आवासीय शिक्षा को वित्त-पोषित करने वाला समर्पित घटक
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009	कक्षा 1-8 के लिए निःशुल्क शिक्षा का संवैधानिक आदेश; KGBV सबसे हाशिये पर रह रही लड़कियों के लिए इसका कार्यान्वयन करते हैं
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020	NEP 2020 का पैरा 6.9 सभी KGBV को कक्षा XII तक सशक्त एवं विस्तारित करने का आदेश देता है; समग्र शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वित
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	KGBV बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) गतिविधियों के अभिसरण बिंदु हैं

- **केंद्र:** शिक्षा मंत्रालय (MoE / DoSEL — स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) → सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन समिति को निधियाँ
- **राज्य:** राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा
- **जिला:** जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)
- **संस्थान:** वार्डन (परिसर-स्थित प्रमुख)
- **वित्त-पोषण:** 60:40 केंद्र:राज्य



प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
वार्डन	KGBV की प्रमुख; छात्रावास का प्रबंधन, शिक्षण का समन्वय, प्रवेश का संचालन
पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ	सामान्यतः प्रति KGBV 5-6; राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम पढ़ाती हैं
अंशकालिक प्रशिक्षिकाएँ	व्यावसायिक विषय, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जीवन कौशल
लेखाकार / लिपिक	वित्तीय अभिलेख, PRABANDH (Project Appraisal, Budgeting, Achievements and Data Handling) तथा एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) पर डेटा प्रविष्टि

अनिवार्य सेवाएँ

- कक्षा 6-12 तक परिवार के लिए शून्य लागत पर पूर्ण आवासीय शिक्षा, निःशुल्क भोजन-आवास सहित
- प्रवेश में प्राथमिकता: 75% सीटें SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए, 25% BPL परिवारों के लिए, और स्कूल-बाहर लड़कियों एवं ड्रॉपआउट पर विशेष ध्यान
- रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत आत्मरक्षा प्रशिक्षण
- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, जिसमें सैनिटरी पैड वेंडिंग एवं स्वच्छता शिक्षा शामिल हैं
- स्कूल-बाहर लड़कियों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम ताकि वे अपनी कक्षा-स्तर तक पहुँच सकें
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक आवेदनों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा
- स्वास्थ्य जाँच और निरंतर शिक्षा एवं करियर विकल्पों पर परामर्श
- कक्षा 9-12 के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF)-संरेखित व्यावसायिक पाठ्यक्रम, रोजगार-योग्यता कौशल मॉड्यूल (संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), स्व-प्रबंधन, उद्यमी, हरित कौशल) सहित – समग्र शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण घटक के अंतर्गत KGBV तक विस्तारित
- प्रत्येक बालिका विद्यार्थी के लिए मासिक वजीफा (समग्र शिक्षा के अंतर्गत KGBV आवर्ती-लागत मद के रूप में; रुपये की राशि राज्य की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (AWP&B) के माध्यम से तय होती है)
- सुरक्षा, संरक्षा और रहन-सहन की स्थितियाँ समग्र शिक्षा KGBV रणनीति के अनुसार: प्रत्येक बालिका के लिए न्यूनतम लगभग 40 वर्ग फुट का रहने का स्थान (रसोई, शौचालय और अन्य सामान्य स्थान को छोड़कर); वार्डन, शिक्षण और सहायक स्टाफ सभी महिला; बाल सुरक्षा पोस्टर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 के E-Box विवरण, विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर छात्रावास के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित; प्रत्येक आगंतुक को दर्ज करने वाला अतिथि पंजी; 24 घंटे चौकीदार उपस्थित

संबंधित योजनाएँ

- **समग्र शिक्षा अभियान** – संपूर्ण परिचालन वित्त-पोषण, जिसमें निर्माण, वेतन, सामग्री, और भोजन शामिल हैं
- **प्री-मैट्रिक / पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (NSP)** – SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ** – स्कूल छोड़ने के जोखिम वाली लड़कियों के लिए जागरूकता और पुनः-नामांकन अभियान
- **रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण** – समग्र शिक्षा के माध्यम से वित्त-पोषित आत्मरक्षा प्रशिक्षण

पता कैसे लगाएँ

पोर्टल: udiseplus.gov.in – विद्यालय प्रबंधन प्रकार और श्रेणी से फिल्टर करें और एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE) कोड वाले KGBV देखें

इसके अलावा: किसी भी शैक्षिक रूप से पिछड़े खंड के खंड शिक्षा अधिकारी से KGBV का पता और वार्डन का संपर्क पूछें

प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील KGBV में होनी चाहिए: प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बिस्तर और भंडारण के साथ डॉर्मिटरी स्थान, प्रति कक्षा एक कक्षा-कक्ष, द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG)-आधारित खाना पकाने वाली रसोई और भोजन कक्ष, बहते पानी सहित अलग-अलग शौचालय ब्लॉक, एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, मासिक धर्म कचरे के लिए एक भस्मक, ताला लगाने योग्य गेट के साथ पूर्ण चहारदीवारी, विज्ञान, ICT, गणित, सामाजिक विज्ञान



और भाषा को कवर करने वाली एक प्रयोगशाला; इंटरनेट के साथ एक अलग कंप्यूटर कक्ष; एक हेड मास्टर कक्ष; एक कला एवं शिल्प कक्ष; एक मनोरंजन कक्ष (समग्र शिक्षा KGBV न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार); एक खेल का मैदान, एक पुस्तकालय या वाचन कोना, प्राथमिक उपचार सामग्री वाला बीमार कक्ष, और परिसर में वार्डन का निवास।

एक क्रियाशील KGBV कैसा दिखता है

- लड़कियाँ परिसर में भौतिक रूप से उपस्थित हैं और विद्यालय के समय में कक्षाएँ चल रही हैं
- वार्डन परिसर में रहती हैं और दैनिक प्रबंधन के लिए उपलब्ध हैं
- पिछली तिमाही में योग्य प्रशिक्षिका के साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया गया है
- सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन कार्यशील है और भरी हुई है
- भोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परोसा जा रहा है, जिसमें मेनू में दिखाई देने वाली विविधता है
- वर्तमान चक्र के छात्रवृत्ति आवेदन NSP के माध्यम से संसाधित किए जा चुके हैं

शिकायत निवारण

सेवा वितरण के दौरान। पहला संपर्क बिंदु परिसर पर वार्डन हैं। छात्रावास की स्थितियों, भोजन की गुणवत्ता, ब्रिज-पाठ्यक्रम नामांकन, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, या मासिक धर्म स्वच्छता आपूर्ति से जुड़े मामले पहले यहीं उठाए जाते हैं।

सेवा के बाद। मामला जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा तक बढ़ाया जाता है। सुरक्षा, दुर्व्यवहार, या भेदभाव से जुड़े मामलों में, जिला कलेक्टर और बाल कल्याण समिति का प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार है।

बाहरी। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS), pgportal.gov.in पर, शिक्षा मंत्रालय के विरुद्ध शिकायतों को संभालती है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (SCPCR) / राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) लड़कियों के शैक्षिक अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ी शिकायतें स्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW, ncw.nic.in, हेल्पलाइन 7827170170) लिंग-विशिष्ट शिकायतें संभालता है। बालिका सुरक्षा से जुड़े मामले पॉक्सो / किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (जेजे), 2015 की अवसंरचना के माध्यम से बढ़ाए जा सकते हैं।